तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामचन्द्र बनाम मालीराम** **350 / 13 (आरसीएमएस नं. 2012 / 00144)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित उन्होने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनाम हो गया है तथा पक्षकारान के मध्य अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष नही रहा है तथा पक्षकारान अब आगे मुकदमा लड़ना नही चाहते है अपीलार्थी अब अपनी अपील आगे चलाना नही चाहता है एवं अपील विड्रो करना चाहता है जिससे अपीलार्थी को अपनी उक्त अपील को विड्रा किये जाने की बिना किसी शर्त के अनुमति प्रदान की जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील विड्रो किये जाने बाबत अपनी अनापत्ति दी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को विड्रो करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील विड्रो किये जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर	